

फाइल सं. डब्ल्यू-11013/08/2014-(भाग-II)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(निर्मल भारत अभियान)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 17.11.2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: निर्मल भारत अभियान की पुनर्संरचना और उसके स्थान पर "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" की शुरुआत।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 14.10.2014 के संख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देशों, वित्तपोषण ढाँचे और प्रक्रिया की सूचना दी गई थी।

यह स्पष्ट किया जाता है उन मामलों में जहाँ एनबीएके अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया है वहाँ यदि एसबीएम की सभी शर्तें पूरी होती हैं तो राज्य सरकार ऐसे मामलों की संस्वीकृति पर एसबीएम (जी) निधियों के अंतर्गत पूर्ण वित्तपोषण हेतु पुनः विचार कर सकते हैं।

भवदीया,

(क्रिस्टीना कुजूर)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. राज्य समन्वयक (सभी राज्य)।
2. सचिव (डीडब्ल्यूएस) के पीपीएस।
3. संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के पीपीएस।
4. निदेशक (एनआईसी) मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु।